स्वदेशी धान की किस्म: क्योंझर कालाचंपा

स्रोत: द हिंदू

ओडिशा के एक किसान ने अपनी **स्वदेशी धान किस्म, क्योंझर कालाचंपा को आधिकारिक रूप से पंजीकृत** कराया है, तथा बीज के व्यावसायीकरण के लिये पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) से मुआवज़े की मांग की है।

क्योंझर कालाचंपा:

- भारत सरकार ने **वर्ष 2015 में इस किस्म को अधिसूचित** किया था। ओडिशा राज्य बीज निगम (OSSC) और निजी कंपनियों ने इस किस्म के **उत्पादन और वितरण में महत्त्वपूर्ण योगदान** दिया है।
- **विशेषताएँ:**
    - इस किस्म ने **प्रमुख बीमारियों, कीटों और** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति **लचीलापन** दिखाया है।
    - यह **झुकने या गिरने के प्रति प्रतिरोधी** (नॉन लॉजिंग) है, **उर्वरकों** के प्रति अनुक्रियाशील है, **समय पर की जाने वाली और साथ ही विलंब से होने वाली बुवाई के लिये उपयुक्त है**, और **उच्च उपज** वाली किस्म है।
    - **जीवीय दबाव के प्रति** इसके प्रतिरोध के कारण, इसे किसानों द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाता है और यह **भारत की पहली परंपरागत किस्मों में से एक थी** जिसे औपचारिक बीज आपूर्ति शृंखला में एकीकृत किया गया था।

जीन बैंक पहल:

- ओडिशा ने किसानों से प्राप्त **धान की परंपरागत किस्मों को संरक्षित करने** के लिये एक अनूठा जीन बैंक विकसित किया है, जिसके **बीजों को 50 वर्षों तक तापमान और आर्द्रता नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जा सकता है**।
    - भारत ने **लद्दाख के चांग ला** में अपनी बीज भंडारण सुविधा स्थापित की है।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA):

- इसकी स्थापना **PPVFRA अधिनियम, 2001** के तहत की गई थी।
- यह प्राधिकरण पौधों की किस्मों, किसानों और प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तथा **नई किस्मों के विकास को बढ़ावा** देता है, और साथ ही **उन किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिन्होंने पीढ़ियों से पौधों की किस्मों का संरक्षण किया है**।
    - महापंजीयक इस प्राधिकरण का **पदेन सदस्य सचिव** होता है।

और पढ़ें: पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indigenous-paddy-variety-keonjhar-kalachampa-1